FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (ज़िला):** STATE VIGILANCE AND **P.S.(थाना):** SIRMAUR(NAHAN) **Year(वर्ष):** 2023
   FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0007 **Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय):** 01/08/2023 12:54 PM

2.

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	IPC 1860	420
2	IPC 1860	467
3	IPC 1860	468
4	IPC 1860	471
5	IPC 1860	120-B
6	HP PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983	5
7	HP PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983	6

3. **(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** **Date From(दिनांक से):** **Date To(दिनांक तक):**
      Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

   (b) Information received at P.S.(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): **Date(दिनांक):** 01/08/2023 **Time (समय):** 12:22 PM

   (c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ): **Entry No.(प्रविष्टि सं.):** 007 **Time (समय):** 01/08/2023 12:22 PM

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. **(a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 120 Km(s) **Beat No(बीट सं.) :**

      (b) Address(पता): Bela, Shillai

      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
      Name of P.S(थाना का नाम): **District(State)(ज़िला(राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**

   (a) Name(नाम): Hari Dass

   (b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): 08/02/1966 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

   (e) UID No (यूआईडी सं.):

   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

   (g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)

   (i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)

2	**Present Address**	VILLAGE-PS SVACB , TEHSIL-Nahan, PS-NAHAN, DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
3	**Permanent Address**	VILLAGE-PS SVACB , TEHSIL-Nahan, PS:NAHAN, DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): **Mobile (मोबाइल** 91-9418473916

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Relative's Name(रिश्तेदार का नाम)**	**Present Address (वर्तमान पता)**	**Parmanent Address (स्थाई पता)**
1	Unknown1			
2	Ex- Pradhan Smt. Sunita Devi		VILLAGE-GP Bella,TEHSIL-Shillai,PS-SHILLAI,DISTRICT-SIRMAUR,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-GP Bella,TEHSIL-Shillai,PS-SHILLAI,DISTRICT-SIRMAUR,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
3	Ex-Pradhan Sh.Sadhu Ram			
4	Smt. Anita Devi		VILLAGE-The then Panchayat Secretary, TEHSIL-GP BELLA TEHSIL SHILLAI,PS-SHILLAI,DISTRICT-SIRMAUR,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-The then Panchayat Secretary, TEHSIL-GP BELLA TEHSIL SHILLAI,PS-SHILLAI,DISTRICT-SIRMAUR,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
5	Sh. Nettar Singh			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	**Property Category (संपत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ती के प्रकार)**	**Nature Property (प्रकृति संपत्ति)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))**

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण न॰, यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	**UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)**

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

शिकायत पत्र संख्या SV&ACB(R/SR-HQ) Comp. (NHN)37/2023 दिनाँक 16-05-2023 की प्रारम्भिक जांच उप-निरीक्षक हरीदास, जांच अधिकारी, पुलिस थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो नाहन द्वारा अमल में लाई गई है। उक्त शिकायत पत्र की जांच रिपोर्ट, सम्वन्धित रिकॉर्ड सहित विजिलैंस मुख्यालय से अभियोग पंजीकृत करने के अनुमोदन सहित, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, दक्षिणी खण्ड शिमला से मुताविक पत्र पृष्ठांकन संख्या 5851 दिनांक 31.07.2023 प्राप्त हुई है। जांच रिपोर्ट का विवरण इस प्रकार है:- शिकायत पत्र में आरोप लगाये है कि ग्राम पंचायत बेला की पूर्व प्रधान श्रीमति सुनीता देवी (कार्यकाल वर्ष 2010 से वर्ष 2015) व तत्कालीन पंचायत सचिव, श्रीमति अनीता देवी व नेत्र सिह ने विकास खण्ड शिलाई के अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके जानबूझ कर बेईमानी की नीयत से ग्राम बेला में 1 जनवरी 2011 से 2015 तक कागजों पर पूर्ण दर्शाये गये विकास कार्यों में भारी गड़बड़ियां व अनियमितताये वरत कर करके करोड़ों रुपये के सरकारी धन का गबन किया है तथा पंचायत रिकार्ड (मस्ट्रोल, बिल) में इन लोगों द्वारा लाभार्थियों (मजदूरों, मिस्त्री व वैल्डर) के स्वयं फर्जी हस्ताक्षर करने मौका पर मात्र 20 फीसदी विकास कार्य ही किया है।शिकायत पत्र की जांच के दौरान खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड शिलाई जिला सिरमौर से पत्राचार करके रिकॉर्ड हासिल किया गया । शिकायतकर्ता श्री नाथू राम को शामिल जांच शिकायत पत्र करके उसका विस्तृत ब्यान कलमवन्द किया गया। शिकायत पत्र में उल्लिखित विवादास्पद कार्यो का मूल्यांकन करवाने हेतु हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की तकनीकी टीम गठित की गई । रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि:-(1)निर्माण कार्य जोहड़ टपनोल क्यार के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 68 दिनांक 01.01.2013 पर श्री अमर सिंह पुत्र श्री सुखराम को दिनांक 02.01.2013 से दिनांक 26.01.2013 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है। उक्त मस्ट्रोल ग्राम पंचायत वेला के तत्कालीन वार्ड सदस्य, श्री प्रदीप कुमार के नाम पर जारी किया गया है । इसी प्रकार निर्माण कार्य सरांय वेला के लिये जारी किये गये मस्ट्रोल संख्या 74 दिनांक 15.01.2023 पर भी दिनांक 16.01.2013 से दिनांक 31.01.2013 तक श्री अमर सिंह पुत्र श्री सुख राम को वतौर मजदूर दर्शाया गया है । उक्त मस्ट्रोल ग्राम पंचायत वेला के तत्कालीन वार्ड सदस्य, श्री जागर सिंह के नाम पर जारी किया गया है। इस प्रकार पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला श्रीमति श्रीमति सुनीता देवी ने श्री प्रदीप कुमार वार्ड सदस्य व श्री जागर सिंह वार्ड़ सदस्य व अमर सिंह ने

आपस में मिलीभगत करके झूठा रिकॉर्ड तैयार करके 4030/- रुपये की राशि का गवन किया है ।(2)मस्ट्रोल संख्या 0057486 दिनांक 01.11.2010 पर श्री लायक राम पुत्र श्री मीन सिंह को 1.12.2010 से दिनांक 15.12.2010 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है । उक्त मस्ट्रोल पर श्री साधू राम, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला द्वारा हाजिरियां लगाई गई है । निर्माण कार्य Irrigation Tank Shilli Baushwa के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 0057430 दिनांक 01.11.2010 पर श्री लायक राम पुत्र श्री मीन सिंह को दिनांक 1.12.2010 से दिनांक 15.12.2010 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है । इसी प्रकार निर्माण कार्य भूमि सुधार कल्याण सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी वश्वा के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 0057469 दिनांक 1.11.2010 पर श्री लायक राम पुत्र मीन सिंह को दिनांक 1.12.2010 से दिनांक 15.12.2010 तक मजदूर दर्शाया गया है । इस प्रकार तीनों मस्ट्रोलों पर श्री लायक राम पुत्र श्री मीन सिंह को एक ही समयावधि 1.11.2010 से 1.12.2010 तक मजूदर दर्शाया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत वेला के पूर्व प्रधान श्री साधू राम, श्रीमति सुनीता देवी व श्री लायक राम ने आपस में मिलीभगत करके झूठा रिकॉर्ड तैयार करके कुल 5100/- रुपये की धनराशि का गवन किया है ।(3)निर्माण कार्य वायर करेट हडांडी खाला IInd के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 87 दिंनाक 15/9/2014 पर श्री भवान सिंह को दिनाकं 16.09.2014 से 30.09.2014 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है । इसी प्रकार निर्माण कार्य भूमि सुधार कल्याण सिंह पुत्र धनी राम निवासी बशवा के लिये जारी किये गये मस्ट्रोल संख्या 1363 पर भी श्री भवान सिंह का नाम वतौर मजदूर अंकित है, परन्तु उक्त मस्ट्रोल पर श्री भवान सिंह को गैर हाजिर दर्शाया गया है।(4) निर्माण कार्य कूल स्कूल से कोयलू धार (बशवा) के लिये जारी किये गये मस्ट्रोल संख्या 008 दिनांक 1.08.2014 पर श्री कुन्दन सिंह को दिनांक 05.08.2014 से 19.08.2014 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है । उक्त मस्ट्रोल पानो देवी, वार्ड सदस्य के नाम पर जारी किया गया है । इसी प्रकार निर्माण कार्य चैक डैम उपरला खाला के लिये जारी किये गये मस्ट्रोल संख्या 007 दिंनाक 1/8/2014 पर श्री कुन्दन सिंह को दिनांक 2/8/2014 से 21/8/2014 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है। उक्त मस्ट्रोल श्रीमति वंसती देवी, वार्ड सदस्य के नाम पर जारी किया गया है । इस प्रकार श्री मति सुनीता देवी प्रधान ग्राम पंचायत वेला, श्रीमति पानो देवी व श्रीमति वंसती देवी, तत्कालीन वार्ड सदस्य ने श्री कुन्दन के साथ मिलीभगत करके झूठी रिकॉर्ड तैयार किया तथा 5250/- रुपये की धनराशि का गवन किया है ।(5) निर्माण कार्य भूमि सुधार पुत्र बुध सिंह निवासी बैला के लिये जारी किये गये मस्ट्रोल संख्या 0057463 दिनांक 1.11.2010 पर श्री गंगा राम पुत्र श्री मान सिंह को दिनांक 16/01/2011 से 30/01/2011 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है । उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान द्वारा लगाई गई हैं । इसी प्रकार निर्माण कार्य पक्की पुलिया बैला खाला के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 0057331 दिनाक 22/7/2010 पर श्री गंगाराम पुत्र मान सिंह को दिनांक 16/1/2011 से 22/1/2011 तक वतौर मजदूर उपस्थित दर्शाया गया है । उक्त मस्ट्रोल पर भी हाजिरियां श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान द्वारा लगाई गई हैं । इस प्रकार श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान से श्री गंगाराम के साथ मिलीभगत करके झूठा रिकॉर्ड तैयार करके 2680/- रुपये की धनराशि का गवन किया है ।(6) निर्माण कार्य खेल मैदान GMS बैला के लिये जारी किये गये मस्ट्रोल संख्या 0057423 दिनांक 1.11.2010 श्री वसिया पुत्र अजवू को दिनाक 16/1/2011 से 30/1/2011 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है । उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान द्वारा लगाई गई हैं । इसी प्रकार निर्माण कार्य पक्की पुलिया बैला खाला के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 0057331 दिनाक 22/7/2010 श्री श्री वसिया पुत्र अजवू को दिनांक 16/1/2011 से 21/1/2011 तक वतौर मजदूर उपस्थित दर्शाया गया है। उक्त मस्ट्रोल पर भी हाजिरियां श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान द्वारा लगाई गई हैं । इस प्रकार श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान से श्री वसिया के साथ मिलीभगत करके झूठा रिकॉर्ड तैयार करके 2330/- रुपये की धनराशि का गवन किया है।(7) निर्माण कार्य सुरक्षा दिवार आम रास्ता बैला के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 033 दिनांक 1.06.2011 पर श्री कमल किशोर पुत्र श्री गुलाव सिंह को दिनांक 01/06/2011 से 24/06/2011 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है । उक्त मस्ट्रोल श्री यशपाल के नाम पर जारी किया गया है । इसी प्रकार निर्माण कार्य चैक डैम (गली प्लाग) क्यार बैला खाला के लिए जारी किये गये मस्ट्रोल संख्या 034 दिनांक 15/06/2011 पर श्री कमल किशोर पुत्र श्री गुलाव सिंह को 16/6/2011 से 30/06/2011 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है। उक्त मस्ट्रोल श्री जगत सिह पुत्र मीन सिंह निवासी बैला के नाम पर जारी किया गया है । इस प्रकार श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ने श्री यशपाल व श्री जगत सिंह के साथ मिलीभगत करके श्री कमल किशोर की झूठी हाजिरियां लगाकर 3960/- रुपये की धनराशि का गवन किया है ।(8) निर्माण कार्य भूमि सुधार नरेश पुत्र कांसीया निवासी डिम्टी के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 0057448 दिनांक 01.11.2010 पर श्री जीत सिंह पुत्र शिविया को दिनांक 01/02/2011 से 15/02/2011 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है । उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां श्रीमति सुनीता देवी द्वारा लगाई गई हैं । इसी प्रकार निर्माण कार्य भूमि सुधार थोलिया गोरखू निवासी डिम्टी के लिए जारी किये गये मस्ट्रोल संख्या 0057470 दिनांक 01.11.2010 पर श्री जीत सिंह पुत्र शिविया का नाम दिनांक 01.02.2011 से 15.02.2011 तक वतौर मजदूर अंकित है। परन्तु उक्त समयावधि में उसे अनुपस्थित दर्ज किया गया है।(9) निर्माण कार्य भूमि सुधार थोलीया गोरखु निवासी डिम्टी के लिये जारी किये गये मस्ट्रोल संख्या 0057470 दिनांक 1.11.2010 पर श्री वावू राम पुत्र देवी राम को दिनांक 01/02/2011 से 15/02/2011 तक वतौर मजदूर दर्शाया

गया है । उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां स्वंय वावूराम द्वारा लगाई गई हैं । इसी प्रकार निर्माण कार्य चैक डैम पाज्जे की नाली बडी धार के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 0057417 दिंनाक 22/12/2010 श्री वावू राम पुत्र देवी राम को दिंनाक 1-02-2011 से 15-02-2011 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है। उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां श्री सुरेश द्वारा लगाई गई हैं । इस प्रकार श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ने श्री वावूराम व श्री सुरेश के साथ मिलीभगत करके श्री वावू की झूठी हाजिरियां लगाकर 3600/- रुपये की धनराशि का गवन किया है । (10) निर्माण कार्य चैक डैम पाज्जे की नाली बडी धार के लिए के लिये जारी किये गये मस्ट्रोल संख्या 0057417 दिनांक 22.12.2010 पर श्री भवान पुत्र चानन को दिनांक 01/02/2011 से 15/02/2011 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है । उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां श्री सुरेश द्वारा लगाई गई हैं । इसी प्रकार निर्माण कार्य भूमि सुधार मदन सिंह पुत्र मान सिंह निवासी वेला के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 0057445 दिंनाक 01/11/2010 श्री भवान सिंह पुत्र श्री चानन को दिंनाक 1-02-2011 से 15-02-2011 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है । उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां श्री रमेश द्वारा लगाई गई हैं । इस प्रकार श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ने श्री सुरेश व श्री रमेश के साथ मिलीभगत करके श्री भवान की झूठी हाजिरियां लगाकर 3600/- रुपये की धनराशि का गवन किया है । (11) निर्माण कार्य चैक डैम पाजे की नाली बडी धार के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 0057280 दिनांक 30.04.2009/22.12.2010 पर श्री विशन पुत्र हरी राम का नाम दिनांक 01/03/2011 से 15/03/2011 तक वतौर मजदूर अंकित है परन्तु उक्त समयावधि में इसे अनुपस्थित दर्ज किया गया है। इसी प्रकार निर्माण कार्य सिंचाई टैंक बाग की सैर के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 0057490 दिनाक 1-3-2011 पर श्री विशन पुत्र हरी राम को दिंनाक 1-3-2011 से 15-3-2011 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है।(12) निर्माण कार्य चैक डैम पाजे की नाली बडी धार के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 0057280 दिनांक 30.04.2009/22.12.2010 पर श्रीमति गीता देवी पत्नी मोहन को दिनांक 01/03/2011 से 15/03/2011 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है । उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां श्री सुरेश द्वारा लगाई गई हैं । इसी प्रकार निर्माण कार्य भू-संरक्षण कार्य वुद्ध सिंह पुत्र शिविया निवासी डिम्टी के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 0057487 दिनाक 01-03-2011 पर श्रीमति गीता देवी पत्नी मोहन को दिंनाक 1-3-2011 से 15-3-2011 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है। उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां श्रीमति सुनीता देवी द्वारा लगाई गई हैं । इस प्रकार श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ने श्री सुरेश व श्रीमति गीता देवी के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 3480/- रुपये की धनराशि का गवन किया है ।(13) निर्माण कार्य चैक डैम हन्डाड़ी खाला के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या संख्या 0057421 दिनांक 01.11.2010 पर श्री कल्याण सिंह पुत्र धनियां को दिनांक 01/12/2010 से 15/12/2010 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है । उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां श्रीमति सुनीता देवी द्वारा लगाई गई हैं । इसी प्रकार मस्ट्रोल संख्या 00574876 दिंनाक 1-11-2010 पर श्री कल्याण सिंह पुत्र धनियां को दिनांक 1-12-2010 से 15-12-2010 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है ।उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां तत्कालिन प्रधान श्री साधु राम द्वारा लगाई गई है। इस श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ने श्री साधू राम व श्री कल्याण सिंह के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 3300/- रुपये की धनराशि का गवन किया है ।(14) मस्ट्रोल संख्या 0057486 दिनांक 01.11.2010 जिस मस्ट्रोल पर श्री चमेल सिंह पुत्र मानकू को दिनांक 01/12/2010 से 15/12/2010 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है। उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां श्री साधू राम पूर्व प्रधान द्वारा लगाई गई हैं ।इसी प्रकार मस्ट्रोल संख्या 0057438 दिंनाक 1-11-2010 निर्माण कार्य भूमि सुधार रिंक्कू पुत्र जंगली निवासी बशवा के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 0057438 दिनांक 01.11.2010 पर श्री चमेल सिंह पुत्र मानकू को दिनांक 01/12/2010 से 15/12/2010 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है । उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां श्री मति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान द्वारा लगाई गई हैं । इस श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ने श्री साधू राम व श्री चमेल सिंह के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 3300/- रुपये की धनराशि का गवन किया है ।(15) निर्माण कार्य Irrigation Tank Shilli Bashwa के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 0057430 दिनांक 01.11.2010 पर श्री सुभाष पुत्र फकीर चन्द को दिनांक 01/12/2010 से 15/12/2010 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है। उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां श्रीमति सुनीता देवी पूर्व प्रधान द्वारा लगाई गई हैं । इसी प्रकार मस्ट्रोल संख्या 0057486 दिंनाक 1-11-2010 पर श्री सुभाष पुत्र फकीर चन्द को दिंनाक 1-12-2010 से 15-12-2010 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है। उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां श्री साधू राम, पूर्व प्रधान द्वारा लगाई गई हैं । इस श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ने श्री साधू राम व श्री सुभाष के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 3300/- रुपये की धनराशि का गवन किया है ।(16) निर्माण कार्य Irrigation Tank Shilli Bashwa के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 0057430 दिनांक 01.11.2010 पर श्री लायक राम पुत्र मीन सिंह को दिनांक 01/12/2010 से 15/12/2010 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है। उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान द्वारा लगाई गई हैं । इसी प्रकार मस्ट्रोल संख्या 0057486 दिंनाक 1-11-2010 पर श्री लायक राम पुत्र मीन सिंह को दिंनाक 1-12-2010 से 15-12-2010 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है। उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां श्री साधू राम, पूर्व प्रधान द्वारा लगाई गई हैं । इस श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ने श्री साधू राम व श्री लायक राम के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 3300/- रुपये की धनराशि का गवन किया है ।(17) निर्माण कार्य Irrigation Tank Shilli Bashwa के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या

0057430 दिनांक 01.11.2010 पर श्रीमति सलो देवी पत्नी वलदेव सिंह को दिनांक 01/12/2010 से 08/12/2010 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है। उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान द्वारा लगाई गई । इसी प्रकार मस्ट्रोल संख्या 0057486 दिंनाक 1-11-2010 पर श्रीमति सलो देवी पत्नी वलदेव सिंह को दिंनाक 1-12-2010 से 15-12-2010 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है। उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां श्री साधू राम, पूर्व प्रधान द्वारा लगाई गई हैं। इस श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ने श्री साधू राम व श्रीमति सलो देवी के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 2530/- रुपये की धनराशि का गवन किया है ।(18)निर्माण कार्य भूमि सुधार कल्याण सिंह पुत्र धनिया निवासी बशवा के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 0057460 दिनांक 01.11.2010 पर श्री कल्याण सिंह पुत्र धनी राम को दिनांक 16/11/2010 से 30/11/2010 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है। उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान द्वारा लगाई गई हैं । इसी प्रकार निर्माण कार्य DWSS Bashwa Khala to School(Kheel to kangu)के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 0057485 दिनांक 01/11/2010 पर श्री कल्याण सिंह पुत्र धनी राम को दिनांक 15/11/2010 से 30/11/2010 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है । उक्त मस्ट्रोल पर हाजिरियां श्री साधू राम, पूर्व प्रधान द्वारा लगाई गई हैं । इस श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ने श्री साधू राम व श्री कल्याण सिंह के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 3300/- रुपये की धनराशि का गवन किया है ।(19)निर्माण कार्य भूमि सुधार मोही राम पुत्र थोलिया निवासी बशवा के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 0057484 दिनांक 01.11.2010 पर श्री जीत सिंह पुत्र जानिया को दिनांक 16/11/2010 से 30/11/2010 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है इसी प्रकार निर्माण कार्य भूमि सुधार कल्याण सिंह पुत्र धनिया निवासी बशवा के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 0057460 दिंनाक 1-11-2010 पर श्री जीत सिंह पुत्र जानिया को दिंनाक 16-11-2010 से 30-11-2010 तक वतौर मजदूर दर्शाया गया है । उपरोक्त दोनों मस्ट्रोलों पर हाजिरियां श्रीमति सुनीता देवी द्वारा लगाई गई हैं । इस श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ने श्री जीत सिंह के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 3300/- रुपये की धनराशि का गवन किया है । (20) निर्माण कार्य DWSS Bashwa Khala to School(Kheel to kangu) के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 0057485 दिनांक 01.11.2010 पर श्री सुभाष पुत्र फकीर चन्द को दिनांक 15/11/2010 से 30/11/2010 तक बतौर मजदूर दर्शाया है इसी प्रकार निर्माण कार्य सिंचाई टैक विनोद पुत्र कली राम के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 0057428 दिनांक 1.11.2010 पर श्री सुभाष पुत्र फकीर चन्द को दिनांक16-11-2010 से 27-11-2010 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है उपरोक्त दोनों मस्ट्रोलों पर हाजिरियां पूर्व प्रधान साधु राम द्वारा लगाई गई है। इस प्रकार श्री साधु राम पूर्व प्रधान ने सुभाष के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 2970/- रुपये की धनराशि का गवन किया है ।(21) निर्माण कार्य भूमि सुधार सुरत सिंह पुत्र हरि राम निवासी बैला के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 0057449 दिनांक 01.11.2010 पर श्री खजान सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह को दिनाक 01/11/2010 से 15/11/2010 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है इसी प्रकार निर्माण कार्य सिंचाई टैक ककाडी बास बैला के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 027 पर श्री खजान सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह को दिंनाक 01-11-2010 से 24-11-2010 तक बतौर मिस्त्री दर्शाया गया है उपरोक्त मस्ट्रोलों पर हाजिरियां पूर्व प्रधान श्रीमति सुनीता देवी व श्री दलीप सिंह द्वारा लगाई गई है। इस प्रकार श्री सुनीता देवी पूर्व प्रधान व दलीप सिंह ने खजान सिंह के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 3750/- रुपये की धनराशि का गवन किया है । (22) निर्माण कार्य भूमि सुधार सुरत सिंह पुत्र हरि राम निवासी बैला के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 0057449 दिनांक 01.11.2010 पर श्री दीप चन्द पुत्र श्री अमर सिंह को दिनाक 01/11/2010 से 15/11/2010 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है इसी प्रकार निर्माण कार्य सिंचाई टैक ककाडी बास बैला के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 027 पर श्री दीप चन्द पुत्र श्री अमर सिंह को दिंनाक 01-11-2010 से 24-11-2010 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है उपरोक्त मस्ट्रोलों पर हाजिरियां पूर्व प्रधान श्रीमति सुनीता देवी व श्री दलीप सिंह द्वारा लगाई गई है। इस प्रकार श्री सुनीता देवी पूर्व प्रधान व दलीप सिंह ने दीप चन्द के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 3450/- रुपये की धनराशि का गवन किया है ।(23) निर्माण कार्य पक्का रास्ता SC बस्ती हन्डाडी के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 060 दिनांक 01.07.2012 पर श्री फकीर चन्द पुत्र श्री तेलू राम को दिनाक 02/07/2012 से 16/07/2012 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है इसी प्रकार निर्माण कार्य सराये डिम्टी के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 061 पर श्री फकीर चन्द पुत्र श्री तेलू राम को दिनाक 02/07/2012 से 16/07/2012 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है उपरोक्त मस्ट्रोलों पर हाजिरियां सिया राम व निर्मला देवी वार्ड सदस्या द्वारा लगाई गई है। इस प्रकार श्रीमति सुनीता देवी पूर्व प्रधान व सिया राम तथा निर्मला देवी ने फकीर चन्द के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 3900/- रुपये की धनराशि का गवन किया है ।(24) निर्माण कार्य पक्का रास्ता SC बस्ती हन्डाडी के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 060 दिनांक 01.07.2012 पर श्री रमेश सिंह पुत्र श्री सही राम को दिनाक 02/07/2012 से 16/07/2012 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है इसी प्रकार निर्माण कार्य सराये डिम्टी के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 061 पर श्री रमेश सिंह पुत्र श्री सही राम को दिनाक 02/07/2012 से 16/07/2012 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है उपरोक्त मस्ट्रोलों पर हाजिरियां सिया राम व निर्मला देवी वार्ड सदस्या द्वारा लगाई गई है। इस प्रकार श्रीमति सुनीता देवी पूर्व प्रधान व सिया राम तथा

निर्मला देवी ने रमेश सिंह के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 3900/- रुपये की धनराशि का गवन किया है। (25) निर्माण कार्य सराये डिम्टी के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 061 दिनांक 01.07.2012 पर श्री सही राम पुत्र श्री जंगली राम को दिनांक 02/07/2012 से 16/07/2012 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है इसी प्रकार निर्माण कार्य कूल नाला खाला के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 055 पर श्री सही राम पुत्र श्री जंगली राम को दिनाक 01/07/2012 से 31/07/2012 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है उपरोक्त मस्ट्रोलों पर हाजिरियां निर्मला देवी वार्ड सदस्या व पूर्व प्रधान श्रीमति सुनीता देवी द्वारा लगाई गई है। इस प्रकार श्रीमति सुनीता देवी पूर्व प्रधान व निर्मला देवी ने सही राम के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 3750/- रुपये की धनराशि का गवन किया है।(26) निर्माण कार्य भूमि सुधार मन्सा राम पुत्र बलिया निवासी वेला के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 0057462 दिनांक 01.01.2010 पर श्री गंगा राम पुत्र श्री मान सिंह को दिनाक 01/01/2011 से 15/01/2011 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है इसी प्रकार निर्माण कार्य पक्की कूहल वेला के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 0057330 पर श्री गंगा राम पुत्र श्री मान सिंह को दिनाक 01/01/2011 से 15/01/2011 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है उपरोक्त मस्ट्रोलों पर हाजिरियां पूर्व प्रधान श्रीमति सुनीता देवी द्वारा लगाई गई है। इस प्रकार श्रीमति सुनीता देवी पूर्व प्रधान ने गंगा राम के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 2900/- रुपये की धनराशि का गवन किया है।(27) निर्माण कार्य वायर क्रेट/ गली प्लग वशवा के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 0057415 पर श्रीमति ललिता पत्नि श्री खजान सिंह को दिनांक 01/01/2011 से 15/01/2011 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है इसी प्रकार निर्माण कार्य भूमि सुधार सुरेश पुत्र जमनू निवासी बशवा के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 0057479 पर श्रीमति ललिता पत्नि श्री खजान सिंह को दिनाक 01/01/2011 से 15/01/2011 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है उपरोक्त मस्ट्रोलों पर हाजिरियां पूर्व प्रधान श्रीमति सुनीता देवी द्वारा लगाई गई है। इस प्रकार श्रीमति सुनीता देवी पूर्व प्रधान ने ललिता के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 3240/- रुपये की धनराशि का गवन किया है।(28) निर्माण कार्य भूमि सुधार रिंकू पुत्र जंगली निवासी बशवा के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 0057438 पर श्री विक्रम सिंह पुत्र चन्दन सिंह को दिनांक 01/12/2010 से 15/12/2012 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है इसी प्रकार निर्माण कार्य Foot Bridge Banshua Khala के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 0057425 पर श्री विक्रम सिंह पुत्र चन्दन सिंह को दिनाक 01/12/2010 से 15/12/2010 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है उपरोक्त मस्ट्रोलों पर हाजिरियां पूर्व प्रधान श्रीमति सुनीता देवी द्वारा लगाई गई है। इस प्रकार श्रीमति सुनीता देवी पूर्व प्रधान ने विक्रम सिंह के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 3300/- रुपये की धनराशि का गवन किया है।(29) निर्माण कार्य भूमि सुधार सुरेश पुत्र जमनू निवासी बशवा के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 0057479 पर श्री राम भज सिंह पुत्र तुलसी को दिनांक 01/01/2011 से 15/01/2011 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है इसी प्रकार निर्माण कार्य भूमि सुधार राम भज पुत्र तुलसी निवासी बशवा के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 0057442 पर श्री राम भज पुत्र तुलसी को दिनाक 01/01/2011 से 15/01/2011 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है उपरोक्त मस्ट्रोलों पर हाजिरियां पूर्व प्रधान श्रीमति सुनीता देवी द्वारा लगाई गई है। इस प्रकार श्रीमति सुनीता देवी पूर्व प्रधान ने राम भज के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 3240/- रुपये की धनराशि का गवन किया है।(30) निर्माण कार्य भूमि सुधार धर्म सिंह पुत्र ख्यालू निवासी बेला जारी मस्ट्रोल संख्या 0057424 पर श्री बसिया पुत्र अजवू को दिनांक 01/01/2011 से 15/01/2011 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है इसी प्रकार निर्माण कार्य पुलिया पक्की कूहल बेला के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 0057330 पर श्री बसिया पुत्र अजवू को दिनाक 01/01/2011 से 15/01/2011 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है उपरोक्त मस्ट्रोलों पर हाजिरियां पूर्व प्रधान श्रीमति सुनीता देवी व चतर द्वारा लगाई गई है। इस प्रकार श्रीमति सुनीता देवी पूर्व प्रधान व चतर ने बसिया के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 2900/- रुपये की धनराशि का गवन किया है।(31) निर्माण कार्य भूमि सुधार धर्म सिंह पुत्र ख्यालू निवासी बेला जारी मस्ट्रोल संख्या 0057424 पर श्री साहव सिंह को दिनांक 01/01/2011 से 15/01/2011 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है इसी प्रकार निर्माण कार्य पुलिया पक्की कूहल बेला के लिए जारी मस्ट्रोल संख्या 0057330 पर श्री साहव सिंह को दिनाक 01/01/2011 से 15/01/2011 तक बतौर मजदूर दर्शाया गया है उपरोक्त मस्ट्रोलों पर हाजिरियां पूर्व प्रधान श्रीमति सुनीता देवी व चतर द्वारा लगाई गई है। इस प्रकार श्रीमति सुनीता देवी पूर्व प्रधान व चतर ने साहव सिंह के साथ मिलीभगत करके उसकी झूठी हाजिरियां लगाकर 2900/- रुपये की धनराशि का गवन किया है।इस प्रकार श्रीमति सुनीता देवी व श्री साधूराम, पूर्व प्रधान ग्राम पंचाय वेला ने तत्कालीन पंचायत सदस्यों व पंचायत के विभिन्न व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके विभिन्न कार्यो के मस्ट्रोलों में झूठी हाजिरियां लगाकर कुल 98,610/- रुपये की धनराशि का गवन किया है।जांच के दौरान हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की तकनीकी टीम के सदस्यों द्वारा सहायक अभियंता श्री गुलाब सिंह पुण्डीर की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत वेला के 52 विभिन्न विवादित विकासात्मक कार्यो में से शिकायतकर्ताओं द्वारा चिन्हित 16 विवादित कार्यो का मूल्यांकन शिकायतकर्ताओं व पंचायत प्रतिनिधियों की निशानदेही पर किया। मूल्यांकन के दौरान मौका के फोटोग्राफस भी लिये गये तथा गवाहों के ब्यानात कलमवन्द किए गए।जांच के दौरान ग्राम पंचायत वेला से प्राप्त किये गये रिकॉर्ड व हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की तकनीकी टीम द्वारा 16

कार्यो की मूल्यांकन रिपोर्ट से निम्नलिखित तथ्य पाये गये हैः-1.जांच के दौरान पाया गया कि ग्रांम पंचायत वेला में निर्माण कार्य फूट ब्रिज ककाड़ी खाला के लिये मुताविक स्वीकृति आदेश DBS/NREGA Approval-263/2010-2147-2154 दिनांक 4.10.2010, मनरेगा योजना के अन्तर्गत 70,000/- रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी । सचिव ग्राम पंचायत वेला द्वारा उपलव्ध करवाये गये रिकॉर्ड के अनुसार उक्त कार्य पर 45,380/-रुपये की राशि खर्च की गई है। तकनीकी टीम के मूल्यांकन के दौरान उक्त फूट ब्रिज का दाहिनी तरफ के कुछ हिस्से का आधार ही मौका पर पाया गया, जिसकी समीक्षा नहीं की जा सकती। कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी के कर्मचारियों के अनुसार यह ब्रिज खाला में बाड़ आने से बह गया था । जांच के दौरान उक्त तथ्य की पुष्टि का कोई भी प्रमाण प्राप्त न हुआ है। उक्त कार्य श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला के कार्यकाल के दौरान हुआ है । उक्त कार्य की मूल्यांकन पुस्तिका भी जांच के दौरान उपलव्ध न करवाई गई है । अतः उक्त कार्य में श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला व सम्वन्धित तकनीकी पर्यवेक्षक द्वारा उक्त कार्य के लिये खर्च की गई 45,380/- रुपये की धनराशि का गवन किया है ।2.जांच के दौरान पाया गया कि ग्रांम पंचायत वेला में निर्माण कार्य सरायें बेला के लिये ग्राम पंचायत वेला द्वारा पंचायत के निर्विरोध चुने जाने के लिये मिली ईनाम की राशि में से वर्ष 2013 में 1,97,003/- रुपये की धनराशि खर्च की है। तकनीकी टीम के मूल्यांकन के दौरान मौका पर कोई भी निर्माण न पाया गया है । परन्तु कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी के कर्मचारियों ने बतलाया कि मन्दिर के साथ बनाई गई संराये पर ही पैसा खर्च किया गया है और उन्होने इस सन्दर्भ मे कोई भी प्रांकलन (Estimate) / लिखित सबूत उप्लाब्ध न करवाया है । उक्त कार्य श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला के कार्यकाल के दौरान हुआ है । उक्त कार्य की मूल्यांकन पुस्तिका भी जांच के दौरान उपलव्ध न करवाई गई है । अतः उक्त कार्य में श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला व सम्वन्धित तकनीकी पर्यवेक्षक द्वारा उक्त कार्य के लिये खर्च की गई 1,97,003/- रुपये की धनराशि का गवन किया है।3.जांच के दौरान पाया गया कि ग्रांम पंचायत वेला में निर्माण कार्य पौधा रोपण निचला बेला पर वर्ष 2014 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत 1,33,244/- रुपये खर्च किये हैं । तकनीकी टीम द्वारा सम्वन्धित अधिकारियों की उपस्थिति में निरीक्षण/समीक्षा के दौरान मौका पर आम का बगीचा लगना पाया गया है । तकनीकी टीम द्वारा उक्त आम के बगीचे का मूल्यांकन सम्वन्धित विभाग से करवाये जाने वारे लिखा गया है।4.जांच के दौरान पाया गया कि ग्रांम पंचायत वेला में निर्माण कार्य चैक डैंम बेला खाला के लिये मुताविक स्वीकृति आदेश PLG-Su-Ra(Shillai)/2010-11-61349 दिनांक 26.5.11 के 1,00,000/- रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी। सचिव ग्राम पंचायत वेला द्वारा उपलव्ध करवाये गये रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर 67,500/-रुपये की राशि खर्च की गई है। तकनीकी टीम के मूल्यांकन के दौरान निरीक्षण के दौरान चैक डैम बाड़ के कारण खराब स्थिति मे पाया गया है जिसकी पैमाईश व समीक्षा करना संम्भव न है।5.जांच के दौरान पाया गया कि ग्रांम पंचायत वेला में निर्माण कार्य सरायें वश्धा के लिये ग्राम पंचायत वेला द्वारा पंचायत के निर्विरोध चुने जाने के लिये मिली ईनाम की राशि में से वर्ष 2013 में 1,71,890/- रुपये की धनराशि खर्च की है। तकनीकी टीम के मूल्यांकन के दौरान मौका पर कोई भी निर्माण न पाया गया है । परन्तु कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी के कर्मचारियों ने बतलाया कि मन्दिर के साथ बनाई गई संराये पर ही पैसा खर्च किया गया है और उन्होने इस सन्दर्भ मे कोई भी प्रांकलन (Estimate) / लिखित सबूत उप्लाब्ध न करवाया है । उक्त कार्य श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला के कार्यकाल के दौरान हुआ है । उक्त कार्य की मूल्यांकन पुस्तिका भी जांच के दौरान उपलव्ध न करवाई गई है । अतः उक्त कार्य में श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला व सम्वन्धित तकनीकी पर्यवेक्षक द्वारा उक्त कार्य के लिये खर्च की गई 1,71,890/- रुपये की धनराशि का गवन किया है।6.जांच के दौरान पाया गया कि ग्रांम पंचायत वेला में निर्माण कार्य सरायें डिम्टी के लिये ग्राम पंचायत वेला द्वारा पंचायत के निर्विरोध चुने जाने के लिये मिली ईनाम की राशि में से वर्ष 2012 में 1,47,685/- रुपये की धनराशि खर्च की है। तकनीकी टीम के मूल्यांकन के दौरान मौका पर कोई भी निर्माण न पाया गया है । परन्तु कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी के कर्मचारियों ने बतलाया कि मन्दिर के साथ बनाई गई संराये पर ही पैसा खर्च किया गया है और उन्होने इस सन्दर्भ मे कोई भी प्रांकलन (Estimate) / लिखित सबूत उप्लाब्ध न करवाया है । उक्त कार्य श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला के कार्यकाल के दौरान हुआ है । उक्त कार्य की मूल्यांकन पुस्तिका भी जांच के दौरान उपलव्ध न करवाई गई है । अतः उक्त कार्य में श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला व सम्वन्धित तकनीकी पर्यवेक्षक द्वारा उक्त कार्य के लिये खर्च की गई 1,47,685/- रुपये की धनराशि का गवन किया है।7.निर्माण कार्य शौचालय महिला मण्डल बेला पर सचिव ग्राम पंचायत वेला द्वारा उपलव्ध करवाये गये रिकॉर्ड के अनुसार 5,000/- रुपये की धनराशि खर्च की गई है। तकनीकी टीम के मूल्यांकन के दौरान महिला मण्डल परिसर बेला में किसी शौचालय का निर्माण होना न पाया गया है। उक्त कार्य श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला के कार्यकाल के दौरान हुआ है । उक्त कार्य की मूल्यांकन पुस्तिका भी जांच के दौरान उपलव्ध न करवाई गई है । अतः उक्त कार्य में श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला व सम्वन्धित तकनीकी पर्यवेक्षक द्वारा उक्त कार्य के लिये खर्च की गई 5,000/- रुपये की धनराशि का गवन किया है।8.जांच के दौरान पाया गया कि ग्रांम पंचायत वेला में निर्माण कार्य सिंचाई टैंक डिम्टी के लिये मुताविक स्वीकृति DBS/NREGAApproval-263/2009-2283-90 दिनांक 17.07.2009, 40,000/- रुपये

की राशि स्वीकृत हुई थी तथा 13 वें वितायोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर 1,00,000/- रुपये की राशि खर्च की गई है। सचिव ग्राम पंचायत वेला द्वारा उपलव्ध करवाये गये रिकॉर्ड के मुताविक ग्राम पंचायत वेला द्वारा उक्त कार्य पर 1,37,345/- रुपये की राशि खर्च की गई है । तकनीकी टीम के मूल्यांकन के दौरान उक्त कार्य पर खर्च की गई कुल राशि 1,20,578/- रुपये आंकलित की गई है । इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य पर खर्च की गई राशि व तकनीकी टीम द्वारा मूल्यांकित की गई राशि में 16,767/- रुपये का अन्तर है । उक्त कार्य श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला के कार्यकाल के दौरान हुआ है तथा उक्त कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण तकनीकी सहायक वीर सिंह ने किया है। अतः उक्त कार्य में श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला व तकनीकी सहायक वीर सिंह द्वारा 16,767/- रुपये की धनराशि का गवन किया है।9.जांच के दौरान पाया गया कि ग्रांम पंचायत वेला में निर्माण कार्य जोहड़ डिम्टी धार के लिये मुताविक स्वीकृति आदेश DBS/NREGA Approval-263/2010-2147-2154 दिनांक 4.10.2010, 25,000/- रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी । सचिव ग्राम पंचायत वेला द्वारा उपलव्ध करवाये गये रिकॉर्ड के मुताविक ग्रांम पंचायत वेला द्वारा उक्त कार्य पर 30,700/- रुपये की राशि खर्च की है । तकनीकी टीम के मूल्यांकन के दौरान मौका पर कुछ भी बनना न पाया गया है। परन्तु कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी के कर्मचारी ने बतलाया है कि जोहड़ मय रास्ता के मौका पर बनाया गया था, जो भारी वारिश के कारण बह गया था, परन्तु मौका के हालात से न ही कोई स्लाईड है और न ही कोई नुकसान हुआ है। इस प्रकार मौका पर कोई भी निर्माण कार्य होना न पाया गया है । उक्त कार्य श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला के कार्यकाल के दौरान हुआ है । उक्त कार्य की मूल्यांकन पुस्तिका भी जांच के दौरान उपलव्ध न करवाई गई है। अतः उक्त कार्य में श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला व सम्वन्धित तकनीकी पर्यवेक्षक द्वारा उक्त कार्य के लिये खर्च की गई 25,000/- रुपये की धनराशि का गवन किया है।10.जांच के दौरान पाया गया कि ग्रांम पंचायत वेला में निर्माण कार्य फार्म पौंड डिम्टी के लिये मुताविक स्वीकृति DBS/NREGAApproval-263/2009-2283-90 दिनांक 17.07.2009, 40,000/- रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी। तकनीकी टीम के मूल्यांकन के दौरान उक्त कार्य पर खर्च की गई अनुमानित राशि 52,907/- रुपये मूल्यांकित की गई है।11.जांच के दौरान सचिव ग्राम पंचायत वेला द्वारा उपलव्ध करवाये गये रिकॉर्ड के मुताविक ग्रांम पंचायत वेला द्वारा वर्ष 2014 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य भू सरंक्षण कार्य बशवा से पशमी पर 2,38,201/- रुपये की धनराशि खर्च की गई है। तकनीकी टीम द्वारा मूल्यांकन के दौरान उक्त कार्य पर खर्च की गई अनुमानित राशि 2,50,200/- रुपये मूल्यांकित की गई है।12.जांच के दौरान सचिव ग्राम पंचायत वेला द्वारा उपलव्ध करवाये गये रिकॉर्ड के मुताविक ग्रांम पंचायत वेला द्वारा वर्ष 2014 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य बाउड़ी उपरली डिम्टी पर 65,804/- रुपये की धनराशि खर्च की गई है। तकनीकी टीम द्वारा मूल्यांकन/निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि बाउड़ी जिस स्थान पर बनाई गई थी वहां पर वर्तमान में नाथू राम निवासी डिम्टी की रसोई पाई गई है । जो जांच के दौरान मौका पर कोई बाउडी नहीं पाई गई है । उक्त कार्य की मूल्यांकन पुस्तिका भी जांच के दौरान उपलव्ध न करवाई गई है । अतः उक्त कार्य में श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला व सम्वन्धित तकनीकी पर्यवेक्षक द्वारा उक्त कार्य के लिये खर्च की गई 65,804/- रुपये की धनराशि का गवन किया है।13.जांच के दौरान सचिव ग्राम पंचायत वेला द्वारा उपलव्ध करवाये गये रिकॉर्ड के मुताविक ग्रांम पंचायत वेला द्वारा वर्ष 2014 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य जोहड़ पाजे की नाली डिम्टी पर 90,265/- रुपये की धनराशि खर्च की गई है। तकनीकी टीम द्वारा मूल्यांकन के दौरान उक्त कार्य पर खर्च की गई अनुमानित राशि 1,03,047/- रुपये मूल्यांकित की गई है।14.जांच के दौरान सचिव ग्राम पंचायत वेला द्वारा उपलव्ध करवाये गये रिकॉर्ड के मुताविक ग्रांम पंचायत वेला द्वारा वर्ष 2014 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य बाउड़ी डिम्टी धार पर 34,650/- रुपये की धनराशि खर्च की गई है। तकनीकी टीम द्वारा मूल्यांकन/निरीक्षण के दौरान मौका पर किसी भी बाउड़ी का बनना न पाया गया है परन्तु कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी के कर्मचारी ने बतलाया कि बाउड़ी को मौका पर बनाया गया था जो भारी वारिश के कारण बह गयी थी, परन्तु मौका पर प्रमाणित न कर सके।जो जांच के दौरान मौका पर कोई बाउडी नहीं पाई गई है । उक्त कार्य की मूल्यांकन पुस्तिका भी जांच के दौरान उपलव्ध न करवाई गई है । अतः उक्त कार्य में श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला व सम्वन्धित तकनीकी पर्यवेक्षक द्वारा उक्त कार्य के लिये खर्च की गई 34,650/- रुपये की धनराशि का गवन किया है।15.जांच के दौरान पाया गया कि ग्रांम पंचायत वेला में निर्माण कार्य चैक डैम डिम्टी खाला के लिये मुताविक स्वीकृति DBS/NREGA Approval-263/2009-2283-90 दिनांक 17.07.2009, 50,000/- रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी। सचिव ग्रांम पंचायत वेला द्वारा उपलव्ध करवाये गये रिकॉर्ड के मुताविक उक्त कार्य पर ग्रांम पंचायत द्वारा 73,100/- रुपये की राशि खर्च की गई है । तकनीकी टीम के मूल्यांकन के दौरान मौका पर किसी भी चैक डैम का निर्माण करना न पाया गया परन्तु कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी के कर्मचारी ने बतलाया है कि चैक डैम डिम्टी खाला को मौका पर बनाया गया था जो कि बह गया था, परन्तु मौका पर प्रमाणित न कर सके। इस प्रकार मौका पर कोई भी चैक डैम वनना न पाया गया है । उक्त कार्य की मूल्यांकन पुस्तिका भी जांच के दौरान उपलव्ध न करवाई गई है । अतः उक्त कार्य में श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला व सम्वन्धित तकनीकी पर्यवेक्षक द्वारा उक्त कार्य के लिये खर्च की गई 50,000/- रुपये की धनराशि का

गवन किया है।16.जांच के दौरान पाया गया कि ग्रांम पंचायत वेला में निर्माण कार्य चैक डैम पाजे की नाली के लिये मुताविक स्वीकृति DBS/NREGA Approval-263/2010-2147-2154 दिनांक 4.10.2010,1,10,000/- रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी। सचिव ग्रांम पंचायत वेला द्वारा उपलव्ध करवाये गये रिकॉर्ड के मुताविक उक्त कार्य पर ग्रांम पंचायत द्वारा 1,02,800/-रुपये की राशि खर्च की गई है । तकनीकी टीम के मूल्यांकन के दौरान मौका पर किसी भी चैक डैम का निर्माण करना न पाया गया परन्तु कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी के कर्मचारी ने बतलाया है कि चैक डैम पाजे की नाली को मौका पर बनाया गया था जो कि बाड़ में बह गया था, परन्तु मौका पर प्रमाणित न कर सके। इस प्रकार मौका पर कोई भी चैक डैम वनना न पाया गया है । उक्त कार्य की मूल्यांकन पुस्तिका भी जांच के दौरान उपलव्ध न करवाई गई है । अतः उक्त कार्य में श्रीमति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला व सम्वन्धित तकनीकी पर्यवेक्षक द्वारा उक्त कार्य के लिये खर्च की गई 1,02,800/-रुपये रुपये की धनराशि का गवन किया है। शिकायत पत्र की जांच के दौरान उपरोक्त 16 विवादित विकासात्मक कार्यो में से 12 कार्यो में श्रीमति सुनीता देवी पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला व तत्कालीन तकनीकी सहायक द्वारा 8,61,979/- रुपये की धनराशि का गवन करना पाया गया है । जांच के दौरान, दौराने निरीक्षण कुछ मस्ट्रोलों की पड़ताल भी मौका पर अम्ल मे लाई गई । श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री मोही राम व गुमान सिंह पुत्र श्री सुख राम निवासीगण डिम्टी ग्राम पंचायत वेला ने अपने संयुक्त ब्यान में तैहरीर करवाया है कि निर्माण कार्य चैक डैम डिम्टी खाला के लिए तत्कालीन प्रधान द्वारा लगाया गया मस्ट्रोल संख्या 0057310 जिस पर इनके नाम भी अंकित है तथा हाजरियां लगाई गई है और इनको 1650, 1650 रुपये की अदायगी करनी दर्शाई है तथा आगे वाले कॉलम में जो हस्ताक्षर किये गये है वह इनके नही है और न ही इन्होंने इस उपरोक्त विवादित कार्य पर कोई कार्य किया है। इन्होंने इस विवादित कार्य की कोई भी नकदी प्राप्त न की है। इसी प्रकार सुरेश कुमार पुत्र श्री पति राम व भवान सिंह पुत्र श्री नैन सिंह निवासीगण डिम्टी ग्राम पंचायत वेला ने भी अपने अपने ब्यान में तैहरीर करवाया है कि निर्माण कार्य चैक डैम पाजे की नाली बड़ीधार के लिए तत्कालीन प्रधान द्वारा लगाया गया मस्ट्रोल संख्या 0057281 जिस पर इनके नाम भी अंकित है तथा हाजरियां लगाई गई है और इनको 1800, 1800 रुपये की अदायगी करनी दर्शाई है यह राशि इन्होंने प्राप्त न की है और न ही इस उपरोक्त कार्य पर कोई कार्य किया है ।जांच के दौरान उपरोक्त ब्यक्तियों के बैंक खातों की बैंक विवरणी हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक शाखा शिलाई से प्राप्त करने पर पाया गया किनिर्माण कार्य चैक डैम पाजे की नाली बड़ी धार पर लगाए गए 03 अदद मस्ट्रोलो की अदायगी दिनांक 13.07.2011को क्रमशः 1800, 1800, 1800 रुपये तीन बार सुरेश कुमार पुत्र पति राम के खाता संख्या 56810109116 में ग्राम पंचायत बेला द्वारा डालनी पाई गई है। इसी प्रकार इसके साथ काम करने वाले जितने भी मजदूरों ने उक्त विवादित कार्य पर काम किया है सभी के बैंक खातों में पंचायत द्वारा उक्त सामान तिथि को राशि स्थानान्त्रित करनी पाई गई है। जांच के दौरान अलग अलग मस्ट्रोलों पर दर्ज उन 02 ब्यक्तियों को भी शामिल जांच करके पूछताछ अम्ल में लाई गई, जिनकी तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत बेला द्वारा मस्ट्रोलों को अनुमोदित करके अलग अलग निर्माण कार्यों पर सामान समय अबधि में एक मजदूर की दोहरी हाजरियां लगाकरअनुचित लाभ पंहुचाया है । जिन दो ब्यक्तियों में से अमर सिंह पुत्र सुख राम निवासी गांव व डाकघर बेला ने पूछताछ पर बतलाया कि विवादित निर्माण कार्य जोहड़ टपनोल क्यार पर ही इसने 22 दिन मजदूरी की है तथा निर्माण कार्य सरांय बेला पर इसने महज 05 दिन ही कार्य किया जबकि तत्कालीन मेट द्वारा 14 दिन की गल्त हाजरिंया लगाई गई है। इसी प्रकार भवान सिंह पुत्र श्री चानण सिंह निवासी गांव व डाकघर बेला ने बतलाया कि इसने निर्माण कार्य चैक डैम पाजे की नाली बड़ी धार पर ही 15 दिन बतौर मजदूर काम किया है जबकि निर्माण कार्य भूमि सुधार मदन सिंह पुत्र मान सिंह निवासी बेला पर इसने कोई भी कार्य न किया है जिस मस्ट्रोल पर तत्कालीन मेट द्वारा 15 दिन गल्त हाजरियां लगाई है। दोनों मस्ट्रोलों पर किये गये कार्यों की मजदूरी इन्होंने प्राप्त की थी जिस अतिरिक्त राशि को इन्हें वापिस सरकारी खजाना में जमा कर देना चाहिए था जो कि इन्होंने जमा न करवाई है। जांच पर पाया गया है कि ग्राम पंचायत बेला के तत्कालीन प्रधान (वर्ष 2010 से वर्ष 2015) श्री साधु राम व सुनीता देवी तथा तत्कालीन पंचायत सचिवों सर्व श्रीमति अनीता व श्री नेत्र सिंह तथा सम्बन्धित वार्ड सदस्यों द्वारा विभिन्न पंचायत के विकासात्मक कार्यो पर सामान अवधि में लगाए गए मस्ट्रोलों पर बहुत से मजदूरों की दोहरी हाजरियां लगाई है तथा अनुचित लाभ पंहुचाया है तथा सरकारी कोष को 98,610/- रुपये की अनुचित हानि कारित की है। इसके अतिरिक्त शिकायत पत्र की जांच के दौरान ग्राम पंचायत वेला के 16 विवादित विकासात्मक कार्यो में से 12 कार्यो में श्रीमति सुनीता देवी पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला व तत्कालीन तकनीकी सहायक द्वारा 8,61,979/- रुपये की धनराशि का गवन करना पाया गया है । शिकायत पत्र की जांच पर पाया गया है कि ग्राम पंचायत बेला के तत्कालीन प्रधान (वर्ष 2010 से वर्ष 2015) श्री साधु राम व सुनीता देवी तथा तत्कालीन पंचायत सचिवों सर्व श्रीमति अनीता व श्री नेत्र सिंह तथा सम्बन्धित वार्ड सदस्यों द्वारा विभिन्न पंचायत के विकासात्मक कार्यो पर सामान अवधि में लगाए गए मस्ट्रोलों पर बहुत से मजदूरों की दोहरी हाजरियां लगाई है तथा अनुचित लाभ पंहुचाया है तथा सरकारी कोष को 98,610/- रुपये की अनुचित हानि कारित की है। इसके अतिरिक्त विवादित कार्यो की समीक्षा/निरीक्षण करवाने हेतु HPPWD Sub Division शिलाई से तकनीकी टीम गठित की गई थी । तकनीकी टीम द्वार शिकायत पत्र में उल्लिखित 52 विवादित कार्यों में से शिकायतकर्ताओं द्वारा

चिन्हित 16 कार्यो की समीक्षा/ निरीक्षण वर मौका अम्ल में लाई है । दौराने निरीक्षण मौका पर बहुत से कार्य ऐसे पाए गए है जो मौका पर मौजूद न है। जो विवादित कार्य मौका पर पाए गए हैं उनकी समीक्षा तकनीकी टीम द्वारा वर मौका की गई है तथा प्रत्येक कार्य पर पंचायत द्वारा खर्च की गई अनुमानित राशि का ब्यौरा अलग अलग आंका गया है परन्तु पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित विवादित कार्यो की मापक पुस्तिका पेश न की है। मूल्यांकन के दौरान 16 विवादित विकासात्मक कार्यो में से 12 कार्यो में श्रीमति सुनीता देवी पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला व तत्कालीन तकनीकी सहायक द्वारा 8,61,979/- रुपये की धनराशि का गवन करना पाया गया है । शिकायत पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच पर पाया गया है कि (वर्ष 2010 से वर्ष 2015) के तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत बेला साधु राम व प्रधान सुनीता देवी तथा तत्कालीन पंचायत सचिव अनीता व नेत्र सिंह, व ब्लॉक के तत्कालीन तकनीकी सहायक व कनिष्ठ अभियंता ने मिली भगत करके मनरेगा व वितायोग के तहत ग्राम पंचायत बेला के विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी धन का दुरुपयोग किया है तथा एक ही समय अबधि में विभिन्न सरकारी कार्यो पर अलग अलग मस्ट्रोलों पर दोहरी हाजिरियां लगाकर फर्जी मस्ट्रोल तैयार करके सरकारी कोष को 98,610/- रुपये की अनुचित हानि कारित की है। इसके अतिरिक्त 16 विवादित विकासात्मक कार्यो में से 12 कार्यो में श्रीमति सुनीता देवी पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत वेला व तत्कालीन तकनीकी सहायक द्वारा 8,61,979/- रुपये की धनराशि का गवन करना पाया गया है। इस प्रकार श्री मति सुनीता देवी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत बेला, श्री साधुराम, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत बेला ने, तत्कालीन दोनों पंचायत सचिवों क्रमशः श्रीमति अनीता देवी व नेत्र सिंह तथा तत्कालीन पंचायत तकनिकी सहायकों व तत्कालीन ब्लॉक कनिष्ठ अभियंता ने मिलीभगत करके झूठा रिकॉर्ड तैयार किया तथा सरकारी कोष को अनुचित हानि कारित की है। अतः प्रथम दृष्टया में उपरोक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध निम्न धारा- 420, 467, 468, 471, 120-बी भा.द.सं. व धारा 5, 6 of HPPSCP Act of 1983 के अन्तर्गत घटित होना पाया जा रहा है। कार्यवाही अज थानाः- शिकायत पत्र उपरोक्त से मामला अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471,120-B IPC & 5, 6 of HPPSCP Act of 1983 का घटित होना पाया गया। जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट की जरूरी प्रतियां तैयार की जा रही हैं। जो अवलोकनार्थ उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा रही हैं। FIR को ही Special Report समझा जाए। FIR की प्रति इसी समय बदस्त आरक्षी विरेन्द्र कुमार के सूचनार्थ माननीय न्यायालय की सेवा में भेजी जा रही है तथा मिसल मुकदमा तैयार करके आगामी अन्वेषण हेतू खुद की तहवील में ली जा रही है।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है |):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):
Tarnjeet Singh (Addl. SP (Additional Superintendant of Police)) / NA **or (या)**

(2) Directed (Name of I.O.):(जांच अधिकारी का नाम): **Rank (पद):**
No(सं.): **to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or**

(3) Refused investigation due to(जांच के लिए):
or (के कारण इंकार किया या)
Transferred to P.S.(थाना): **District(ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Tarnjeet Singh
Rank (पद): Addl. SP (Additional Superintendant of
No(सं.): NA

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female					
2	Male					
3	Female					
4	Male					
5						

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)